न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 14 / 2015

आरसीएमएस नं. 2015 / 00044

अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

1. अमीलाल पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. धर्मपाल पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. औमप्रकाश पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. प्रताप पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. इन्द्राज पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. चन्दो पुत्री श्री गिरधारी जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. कलावती पुत्री श्री गिरधारी जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. कमला पुत्री श्री गिरधारी जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. तीजा पुत्र मुखराम पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. हवा सिंह पुत्र मुखराम पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. मोहिनी पुत्री पुत्र मुखराम पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. रोशनी पुत्री मुखराम पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. निरणी पुत्री मुखराम पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. सजनादेवी पुत्री नानकराम (फौत)

6/1.जयसिंह (फौत)

6/1/1. दलीप सिंह पुत्र जय सिंह जाति जाट साकिन कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू।

6/1/2सावित्री पुत्री जय सिंह जाति जाट साकिन कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू।

6/2.हरीसिंह पुत्र सजना जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू।

6/3.मांगेराम पुत्र सजना जाति जाट साकिन कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू।

6/4.बलवंत पुत्र सजना (फौत)

6/4/1.सुरेन्द्र पुत्र बलवंत जाति जाट साकिन कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू।

6/4/2.मंजू पुत्री बलवंत जाति जाट साकिन कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू।

7. सुन्दर देवी पत्नी देबुराम – आदेश दिनांक के द्वारा नाम हटाया गया।
8. गंगाराम पुत्र देबुराम जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. चन्द्रावती पुत्री देबूराम (फौत)

9/1.मनीराम पुत्र चन्द्रावती पत्नी सुलतान जाति जाट साकिन जांडवाला तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।

10. सरबती पुत्री देबूराम (फौत)

10/1.बलवीर पुत्र सरबती पत्नी अमर सिंह जाति जाट साकिन जांडवाला तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।

10/2.धोलूराम पुत्र सरबती पत्नी अमर सिंह जाति जाट साकिन जांडवाला तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।

10/3.गुड्डी पुत्री सरबती पत्नी अमर सिंह जाति जाट साकिन जांडवाला तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।

10/4.रोशनी पुत्री सरबती पत्नी अमर सिंह जाति जाट साकिन जांडवाला तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।

11. सरूपी पुत्री रेबूराम (फौत)

11/1. बंशीलाल पुत्र हरी सिंह जाति जाट साकिन जांडवाला तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।(आदेश दिनांक 22.09.2021 के द्वारा नाम हटाया गया)

12. सावित्री पुत्री देबूराम (फौत)

12/1.मन्जू पुत्री सावित्री पत्नी फूलाराम जाति जट साकिन रामदेव मंदिर के पास, साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू।

13. कृष्ण पुत्री देबूराम जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
14. फर्म शिम्बुराम भगतराम जरिये पार्टनर फर्म व कारकून लीलाधर वल्द भगराम जाति महाजन साकिन भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

15. पन्नाराम पुत्र ठाकर जाति जाट साकिन बोझला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
16. सुनील कुमार पुत्र श्री जयलाल जरिये कुदरती वली माता गिरदावरी बेवा जयलाल जाति जाट साकिन बोझला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
17. गिरदावरी बेवा जयलाल जाति जाट साकिन बोझला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
18. राजस्थार सरकार जरिये तहसीलदार राजस्, भादरा।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 7.03.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा प्रकरण संख्या 13/2013 अनवान नानकराम बनाम देबूराम

उपस्थितिः—

1. श्री देवदत्त भिड़ासरा अभिभाषक, अपीलांट
2. श्री विजय कौशिक अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1, 2
3. श्री विजय सिंह कड़वासरा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 15 व 16
4. श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0

निर्णय दिनांकः— 21.07.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 6 के पूर्वज नानकराम ने अधीनस्थ न्यायालय में एक अनवानी वाद "नानकराम बनाम देबूराम आदि" वाद संख्या—13/2013 अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीए पेश किया। वाद पत्र में कथन किया कि रोही मौजा मेहलिया तहसील भादरा में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 के पूर्वज नानकराम व अपीलांट के दादा एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 ता 13 के दादा नोपाराम के नाम से साबिका खसरा नम्बर 9/2 की 17.06 बीघा, खसरा नम्बर 146/112 की 24.18 बीघा, खसरा नम्बर 144/110 की 25.16 बीघा व खसरा नम्बर 145/112 की 7.09 बीघा कुल 107.13 बीघा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसमें अपीलांट के दादा व रेस्पोडेंट संख्या 7 ता 13 के दादा नोपाराम का 1/2 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 के पूर्वज नानकराम का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि में वादी नानकराम व प्रतिवादी संख्या—1 देबूराम व प्रतिवादी संख्या—2 गिरधारी के पिता नोपाराम सगे भाई थे। नानकराम व नोपाराम के नाम रोही मेहलिया में कुल 107.13 बीघा भूमि थी, जिसमें नानकराम का 1/2 हिस्सा व नोपाराम को 1/2 हिस्सा की भूमि में उनके वारिस प्रतिवादी संख्या—1 देबूराम का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या—2 गिरधारी का 1/4 हिस्सा था। देबूराम (रेस्पोडेंट संख्या 7 से 13 के पूर्वजों) ने अपने 1/4 हिस्सा की भूमि दिनांक 10.05.1967 को खसरा नम्बर 9/2 की 17.16 बीघा खसरा नम्बर 18 की 9.02 बीघा 26.18 बीघा भूमि फर्म शिम्भूराम भगतराम भादरा को 8000/—रूपये में विक्रय कर दी व विक्रय करने के पश्चात् संयुक्त खाता की भूमि में कोई हिस्सा देबूराम का नहीं रहा। फर्म शिम्भूराम भगतराम भादरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

द्वारा दिनांक 10.05.1967 के बैयनामा द्वारा देबूराम से खरीदशुदा भूमि दिनांक 16.03.1971 को गिरधारी पुत्र नोपाराम को 8000/–रूपये में विक्रय कर दी। देबूराम पुत्र नोपाराम द्वारा दिनांक 10.05.1967 के द्वारा अपने 1/4 हिस्सा की भूमि 8000/–रूपये में विक्रय करने के पश्चात उसका कोई हिस्सा न होने के पश्चात् भी देबूराम ने संयुक्त खाता की भूमि में खसरा नम्बर 144/110 की 10.07 बीघा व खसरा नम्बर 146/112 की 16.11 बीघा कुल 26.18 बीघा भूमि पुनः दिनांक 16.03.1971 को फर्म शिम्भूराम भगतराम महाजन भादरा को 8000/–रूपये में विक्रय कर दी। पैमाईश के दौरान उक्त फर्म द्वारा खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 160 में 12.05 बीघा, 167 की 14.13 बीघा कुल 26.18 बीघा पर पैमूद हुई। फर्म शिम्भूराम भगतराम ने जरिये बैयनामा दिनिांक 16.03.1971 के द्वारा देबूराम से खरीदशुदा भूमि दिनांक 28.06.1975 को पन्नाराम जयलाल वाद के प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को विक्रय कर दी। वाद में वादग्रस्त 110.07 बीघा भूमि का वादी नानकराम पुत्र लूधाराम को 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी गिरधारी पुत्र नोपाराम को 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित करने देबूराम द्वारा करवाया गया बैयनामा दिनांक 16.03.1971 व फर्म शिम्भूराम भगतराम द्वारा करवाया गया बैयनामा दिनांक 16.03.1971 व फर्म शिम्भूराम भगतराम द्वारा करवाया गया बैयनामा दिनांक 28.06.1975 शून्य होना प्रतिवादी संख्या 4 व 5 पन्नालाल व जयलाल को बेदखल करने एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा।

2. विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या–1 के देबूराम के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या–2 गिरधारी, प्रतिवादी संख्या–4 पन्नाराम प्रतिवादी संख्या–5 जयलाल ने संयुक्त रूप से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाब में सजरा खानदान अधूरा पेश करने वादी नानकराम व नन्दू का संयुक्त खाता था वाद में वर्णित भूमि के अतिरिक्त खसरा नम्बर 14/17.01 व खसरा नम्बर 165/23 बीघा भूमि ओर होना व उक्त सम्पूर्ण भूमि में वादी नानकराम व नन्दू का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी देबूराम व प्रतिवादी संख्या–2 गिरधारी के पिता नोपाराम का 1/2 हिस्सा होने का कथन किया। सम्पूर्ण भूमि का बंटवारा 40–50 वर्ष पूर्व होना बताया। खसरा नम्बर 14/17.01, 165/23 बीघा भूमि वादी नानक व नन्दू ने अपने नाम दर्ज करवा ली। उक्त भूमि संयुक्त खाता में दर्ज करवाने हेतु काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाब में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या–1 देबूराम ने साबिका का खसरा नम्बर 144/110 व 146/112 की 26.18 बीघा प्रतिवादी संख्या–3 फर्म शिम्भूराम भगतराम के रहन थी। उकत 26.18 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या–1 देबूराम पुत्र नोपाराम के हिस्सा व कब्जा काश्त की थी जिसे दिनांक 10.05.1967 को प्रतिवादी संख्या–3 फर्म शिम्भूराम को विक्रय कर दी परन्तु बैयनामा में सहबन से खसरा नम्बर 144/110 की 10.07 बीघा व 146/112 की 16.11 बीघा की जगह खसरा नम्बर 9/2 की 17.10 बीघा खसरा नम्बर 18 की 9.02 बीघा दर्ज कर दी। बैयनामा में हुई गलती की जानकारी 1971 में हुई व प्रतिवादी संख्या–3 फर्म शिम्भूराम ने दिनांक 16.03.1971 उक्त भूमि का बैयनामा प्रतिवादी संख्या–2 गिरधारी के पक्ष में करवा दिया। प्रतिवादी संख्या–1 देबूराम ने पुनः दिनांक 16.03.1971 को ही प्रतिवादी संख्या–3 फर्म शिम्भूराम को खसरा नम्बर 144/110 की 10.07 बीघा 146/112 की 16.11 बीघा का बैयनामा करवा दिया। प्रतिवादी संख्या–3 फर्म शिम्भूराम ने दिनांक 28.06.1975 को प्रतिवादी संख्या–4 पन्नाराम व प्रतिवादी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

संख्या–5 जयलाल को उक्त भूमि का बैयनामा करवा दिया। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 ने काउन्टर क्लेम में खसरा नम्बर 14 की 17.01 व 165 की 23 बीघा भूमि को संयुक्त खाता की घोषित करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक वादी नानकराम द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलांट के पूर्वज उपस्थित आकर अपना जवाबदावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद में दिनांक 12.06.1989 को वाद व काउन्टर क्लेम दोनों खारिज कर दिये जिसके विरूद्व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर में अपील अनवानी ''नानकराम बनाम देबूराम'' अपील संख्या 62/84 प्रस्तुत की जो दिनांक 18.12.1989 को आंशिक रूप से अपील स्वीकार की जाकर पत्रावली को पुनः उपखण्ड अधिकारी भादरा को रिमाण्ड किया गया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पत्रावली रिमाण्ड करने के पश्चात् न्यायालय सहायक कलैक्टर भादरा ने दिनांक 22.03.2002 को निर्णय पारित करके वाद स्वीकार किया व वादग्रस्त भूमि कुल तादादी 110.07 बीघा भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 के पूर्वज नानकराम का 1/2 हिस्सा व अपीलांट के पूर्वज गिरधारी को 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया एवं विभाजन हेतु वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2002 के विरूद्व रेस्पोडेंट संख्या–14 पन्नाराम ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में अपील अनवानी ''पन्नाराम बनाम मुखराम'' प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 31.12.2002 को अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 के पूर्वज नानकराम का 1/2 हिस्सा व अपीलांट के पूर्वज गिरधारी का 1/4 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या–15 पन्नाराम व रेस्पोडेंट संख्या 16 ता 17 के पूर्वज जयलाल के वारिसान का 1/4 हिस्सा घोषित किया। रेस्पोडेंट संख्या–15 पन्नाराम एवं रेस्पोडेंट संख्या 16 व 17 सुनील व गिरदावरी का 1/4 हिस्सा भूमि 16.18 बीघा का खाता अलग अलग कायम करने का आदेश पारित किया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2002 के विरूद्व न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलांट के पूर्वज गिरधारी द्वारा द्वितीय अपील अनवानी ''गिरधारी बनाम मुखराम'' अपील संख्या 178/2003 व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 के पिता मुखराम द्वारा अपील अनवानी ''मुखराम बनाम पन्नाराम'' अपील संख्या 610/2003 प्रस्तुत की जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दोनों अपील दिनांक 06.03.2012 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक कलैक्टर भादरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2002 व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2002 को अपास्त करते हुए पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली रिमाण्ड होने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.03.2015 को निर्णय करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 के पूर्वज द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा की हद तक खारिज कर दिया व विभाजन की हद तक वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी एवं अपीलांट के पूर्वज द्वारा काउन्टर क्लेम पर कोई आदेश पारित नहीं किया व दिनांक 27.03.2015 को प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मिमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि मुश्तर्का खाते की है। देबू ने विशिष्ट खसरा नम्बर का बैयनामा करवाया था जबकि देबूराम को विशिष्ट खसरा की विशिष्ट भूमि का बैयनामा करवाने की अधिकारिता नहीं थी। देबूराम ने अपना 1/4 हिस्सा दिनांक 10.05.1967 को जरिये बैयनामा फर्म शिम्भूराम भगतराम को विक्रय कर दिया व दिनांक 16.03.1971 को उक्त फर्म ने खरीदशुदा भूमि अपीलांट के पिता गिरधारी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय कर दी। अपीलांट के अधिवक्ता ने मीमो ऑफ अपील के साथ प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 16.03.1971 की ओर ध्यान आकर्षित करवाया तथा निवेदन किया कि गिरधारी ने उपरोक्त भूमि 8000/–रूपये में खरीद की है तथा उसी दिन मौके पर कब्जा भी फर्म ने केता गिरधारी को सौंपा है। देबूराम द्वारा विक्रयशुदा भूमि देबूराम व फर्म के मध्य का विवाद था उसमें गिरधारी का कोई सम्बंध नहीं था। रेस्पोडेंट संख्या–14 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा भूमि विक्रय करने के पश्चात फर्म के पास कोई भूमि शेष नहीं रह जाती तथा अपीलांट के पिता गिरधारी का 1/4 हिस्सा पूर्व से ही था व 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 16.03.71 से प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपीलांट के पिता गिरधारी का उपरोक्त समस्त भूमि में 1/2 हिस्सा हो गया। बैयनामा दिनांक 16.03.1971 के प्रभाव में रहते रेस्पोडेंट संख्या 14 ता 17 का उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता तथा उक्त बैयनामा को निरस्त करने की अधिकारिता मात्र सिविल न्यायालय को है। रजिस्टर्ड बैयनामा के विरूद्वं दी गई स्वीकृति का कोई महत्व नहीं है जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा उसे निरस्त न कर दिया जावे। रेस्पोडेंट संख्या–14 अथवा रेस्पोडेंट संख्या–15 ता 17 ने उक्त बैयनामा दिनांक 16.03.1971 को आजतक निरस्त नहीं करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि मुश्तर्का खाता की होना मानकर प्राथमिक डिक्री जारी की है। प्रश्नगत भूमि मुश्तर्का खाता की होने से बैयनामेंजात हिस्सा तक वैध हैं। देबूराम द्वारा विक्रय की गई भूमि मुश्तर्का खाता में होने के कारण उसके 1/4 हिस्सा तक वैध थी था। रेस्पोडेंट संख्या–14 द्वारा भी देबूराम से खरीदे गये हिस्से को अपीलांट के पिता को विक्रय किया है। अपीलांट के पिता के पक्ष में निष्पादित बैयनामा में प्रतिफल का आदान प्रदान हुआ है। अगर मात्र यह दुस्रूती दस्तावेज होता तो प्रतिफल का आदान प्रदान नहीं होना था। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड दस्तावेज को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में विवाधक संख्या–1 का निर्णय गलत रूप से पारित किया है। विवाधक संख्या–3 का भी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से पारित किया है। रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 16.03.1971 के प्रभाव में रहते रेस्पोडेंट संख्या 15 ता 17 को उपरोक्त भूमि पर कब्जा बनाए रखने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक संख्या 4 व 6, 7 का निर्णय भी विधि विरूद्व रूप से पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 15 ता 17 का जब प्रश्नगत भूमि में कोई हक व हिस्सा ही नहीं है तथा रेस्पोडेंट संख्या–14 द्वारा पूर्व में ही अपना हिस्सा अपीलांट के पिता को विक्रय कर दिया है तो उक्त विवाधक गलत रूप से निर्णित किये गये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2019 (2)

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पेज 1550, आरआरडी 1985 पेज 655, आरआरडी 1989 पेज 794, आरआरडी 1997 पेज 278 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट के पिता ने अपने जवाबदावा में बैयनामा दिनांक 16.03.1971 के सम्बंध में स्वीकृति दी है तथा उसे दुरूस्ती बैयनामा होना स्वीकार किया है। अपीलांट पूर्व में दी गई स्वीकृति के विरूद्व कथन करने से विबंधित हैं। देबूराम द्वारा पूर्व में करवाया गया बैयनामा 10.05.1967 में अपीलांट के पिता की भूमि दर्ज होने से देबूराम व फर्म द्वारा मजीद बैयनामा लिखा गया तथा दिनांक 16.03.1971 को फर्म ने अपीलांट के पिता के पक्ष में बैयनामा करवा दिया। नानकराम के वारिसान ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। अपीलांट को उक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में अपीलांट के पिता का काउन्टर क्लेम खारिज किया गया था। उस काउन्टर क्लेम के विरूद्व अपीलांट के पिता ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की थी तथा इस स्टेज पर वे काउन्टर क्लेम के सम्बंध में कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा अपील खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1992 पेज 540, आरआरटी 2016 (1) पेज 56 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।
6. अपीलांट ने रेस्पोडेंट की बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के पिता द्वारा बैयनामा दिनांक 16.03.1971 के सम्बंध में चाहे स्वीकृति दी गई हो, लेकिन उक्त बैयनामा आज भी प्रभावशील है। उक्त बैयनामा को निरस्त किये बिना रेस्पोडेंट संख्या 14 ता 17 का उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। रेस्पोडेंट ने बैयनामा दिनांक 16.03.1971 की प्रतिफल राशि के सम्बंध में कोई तर्क भी नहीं दिया। रजिस्टर्ड बैयनामा के प्रभाव में रहते रेस्पोडेंट संख्या 14 ता 17 का उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
8. माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18.12.1989 को प्रकरण विचारण न्यायालय को जमाबन्दी वर्ष 1936–39 को अभिलेख पर लेने के उपरान्त गुणावगुण पर पुनः निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। इसके अलावा प्रलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर विद्यमान होते हुए भी प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक् रूप से विश्लेष्ण एवं विवेचन न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी अपनी अपील डिक्री सं0 178/2003 व 610/2003 में दिनांक 06.03.12 में उपरौक्त बेचनानुसार निर्णय पारित करने के निर्देश दिये है। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।
9. जमाबन्दी संवत 2013–16 में वादग्रस्त भूमि नोपा वल्द रजनू व नानक वल्द लूना कौम जाट के ब0हि0ब0 दर्ज है। 2035 की जमाबन्दी में कुल 2007 हिस्सा भूमि में से 1103–1/2 हिस्सा नानक के नाम दर्ज है तथा इन्तकाल संख्या 34 दिनांक 15.07.1979 के द्वारा नोपा का हिस्सा की भूमि 13–3/4 हिस्सा देबु के, 551/3/4 हि0 प्रतिवादी सं0 2 के नाम व शेष 538 हिस्सा भूमि पतराम जयलाल पि0 ठाकर के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार नानक का इस वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज तथा वह 1/2 हिस्सा ही मांग रहा है। वादी ने प्रतिवादी सं0 2 का भी 1/2 हिस्सा माना है। नियमानुसार प्रतिवादी सं0 1 व 2 इस भूमि के 1/4 हिस्से का ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हकदार बनता है तथा इतनी भूमि उसके नाम दर्ज है फिर भी प्रतिवादी संख्या 2 को यह लगता है कि उसके नाम कम भूमि दर्ज है तो वह स्वयं दावा लेकर आता उसकी तरफ से यह मांग वादी से करने को करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं0 2 ने दिनांक 10.12.1980 को प्रस्तुत अपने जवाब दावे में वादी के कथनों का खण्डन किया है और वह स्वयं ही अपने 1/4 हिस्सा ही माना है उसने विक्रय पत्र द्वारा अपने भाई देबुराम द्वारा फर्म शंभुराम भगरात को विक्रय की बात स्वीकार की है। वह स्वयं स्वीकार करता है कि पहले उसके हिस्से की भूमि का विक्रय उसके भाई ने फर्म को कर दिया, पता चलने पर फर्म द्वारा गलत विक्रय मानते हुए उसकी भूमि वापस उसके नाम करवाई और उसके बाद देबुराम ने अपनी भूमि में से फर्म के नाम विक्रय कर दिया, जो फर्म ने आगे पतराम जयलाल को विक्रय कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 2 अपने जवाब दावें में वादी के कथन का खण्डन स्वयं कर रहा है तो वादी को कोई अधिकार नहीं है कि उसकी स्वयं की 1/2 भाग वादग्रस्त भूमि स्वयं के नाम होते हुए भी वह प्रतिवादी सं0 2 की भी 1/2 भाग भूमि की घोषणा करवाये। वादी स्वयं के नाम वादग्रस्त भूमि पहले से ही 1/2 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार वादी का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा है किन्तु प्रतिवादी सं0 2 का 1/4 हिस्सा है। देबुराम द्वारा अपने हिस्से में से भूमि विक्रय की है उसने विक्रय पत्र पर कोई एतराज दर्ज नही करवाया है उसका भाई प्रतिवादी सं0 2 गिरधारी भी अपने जवाब दावे में विक्रयपत्र को सही बता रहा है। वादी को विक्रयपपत्र पर कोई एतराज उठाने का प्रथम दृष्टया कोई अधिकार नहीं है। हैं। चूंकि वाद भूमि संयुक्त खाता में है वादी को विभाजन करवाने का अधिकार है इसमें कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में 45 वर्ष पूर्व विभाजन होने की बात कही है तथा प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज हो चुका है जिसकी उसने अपील नहीं की है ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं हुआ जिससे साबित हो कि प्रश्गनत भूमि का पूर्व में विभाजन किया गया हो। विक्रयय पत्र को निरस्त करने के अधिकार भी सिविल न्यायालय को राजस्व न्यायालय में बेयनामे को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2015 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 21.07.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/7/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़